भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2789
12 मार्च, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डॉक्टरों और पराचिकित्सकों की कमी

2789. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:
श्री भर्तृहरि महताब:
डॉ.एम.के.विष्णु प्रसाद:
श्री डी.के.सुरेश:
श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:
श्री संजय भाटिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के अध्ययन के अनुसार डॉक्टरों और रोगियों का अनुपात बहुत खराब है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूरे देश में पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों और नर्सों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न अग्रणी योजनाओं के क्रियान्वयन पर डॉक्टरों की कमी के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा देश में डॉक्टरों और पराचिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इस अंतर को कम करने और डॉक्टरों तथा पराचिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए संबद्ध संस्थानों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या और सीटों को बढ़ाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी पी.जी. डॉक्टरों को तीन वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य बनाते हुए एक राष्ट्रीय नीति बनाना है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण हिस्सों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 31 दिसंबर, 2020 के अनुसार देश में 12.89 लाख एलोपैथी डॉक्टर पंजीकृत हैं। 80 प्रतिशत उपलब्धता मानते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 10.31 लाख डॉक्टर वास्तव में सक्रिय सेवाओं में उपलब्ध हैं।

संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I पर है। इसके अलावा, देश में 5.65 लाख आयुष डॉक्टर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त पर विचार करते हुए, देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:845 है।

इसके अलावा, भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) के रिकॉर्डों के अनुसार, देश में लगभग 22,72,208 पंजीकृत नर्सें और पंजीकृत मिडवाईज (आरएन एवं आरएम), 9,34,583 ऑग्जीलरी नर्स मिडवाईव्ज (एएनएम) तथा 56842 लेडी हैल्थ विजिटर (एलएचवी) हैं। देश में पंजीकृत नर्सों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-II पर है।

(ख) और (ग): जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा दर्शायी गई अपेक्षाओं के आधार पर डॉक्टरों की भर्ती करने में सहायता करने सहित उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जाती है।

जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए सरकार एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाती है, जिसके तहत 157 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए तीन चरणों में अनुमोदन किया गया है जिसमें से 47 प्रचालनरत हैं। सरकार एमबीबीएस और पीजी सीटों में वृद्धि करने के लिए मौजूदा राज्य सरकारों/केंद्रीय सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए प्राप्त दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं को भी चलाती है।

इसके अलावा, सरकार ने देश में डॉक्टरों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. संकाय, स्टाफ, बिस्तरों की संख्या और अन्य अवसंरचना की अपेक्षा के संबंध में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए मानदंडों में छूट।

ii. एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम प्रवेश क्षमता 150 से बढ़ाकर 250 करना।

iii. संकाय की कमी को दूर करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति हेतु डीएनबी अर्हता को मान्यता दी गई है।

iv. मेडिकल कॉलेजों में अध्यापकों/डीन/प्रिंसिपल/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्रोजगार हेतु आयु-सीमा 70 वर्ष तक बढ़ाना।

v. मानव संसाधन के दुरूपयोग को रोकने के लिए यदि आवेदक मेडिकल कॉलेज आवेदित भर्ती की न्यूनतम निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है तो आवेदक मेडिकल कॉलेज को सीटों की कम संख्या देने हेतु विनियमों में प्रावधान किया गया है।

vi. एक संघ (2 अथवा 4 निजी संगठनों के समूह) को एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

vii. सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु व्यवहार्यता अन्तर की पूर्ति के लिए निधियन योजना।

जहां तक संबद्ध एवं स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों का संबंध है, वर्तमान में, संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों का कोई केंद्रीय विनियामक निकाय नहीं है। सरकार ने संबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों की शिक्षा और कार्यपद्धति को विनियमित और मानकीकृत करने के लिए राज्य सभा में राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसाय आयोग विधेयक, 2020 को पेश किया गया है।

(घ): एमबीबीएस/पीजी डॉक्टरों द्वारा अनिवार्य ग्रामीण सेवाओं की नीति का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण होने वाले मेडिकल स्नातकों के लिए प्रत्येक राज्य की अपनी बाध्यकारी नीति है।

(ङ): ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा अधिकांश जिला अस्पतालों में चलाए जाने वाले 8 विषयों में एमबीबीएस डिप्लोमा के उपरांत 2 वर्ष के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनसे जिला स्तर पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य परिचर्या जन-शक्ति की उपलब्धता में सुधार होगा।
ii. जिला अस्पतालों में पीजी मेडिकल विद्यार्थियों के तीन माह के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु जिला रेजिडेन्सी योजना को शामिल करने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 में संशोधन किया गया है। इस योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों के द्वितीय, तृतीय वर्ष के पीजी विद्यार्थियों की तैनाती 3 माह की अवधि के लिए जिला अस्पतालों में की जाएगी।

इसके अलावा, सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहन देने के लिए, विनियमों के तहत यह प्रावधान किया गया है कि:-

i. स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें सरकारी सेवा में ऐसे चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित की जाएंगी जिन्होंने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष सेवा प्रदान की हो। स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरांत चिकित्सा अधिकारी सुदूर और/अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 2 वर्षों तक और सेवा प्रदान करेंगे।
ii. दुर्गम अथवा दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के प्रत्येक वर्ष में प्राप्तांकों के 10% की दर से प्रोत्साहन, जो स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दी गई प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों का अधिकतम 30% तक होगा।
iii. डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (डीएनबी) पाठ्यक्रमों में 50% सीटों को राज्य के सेवारत डॉक्टरों के लिए आरक्षित भी किया गया है

अनुलग्नक –I

दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार राज्य चिकित्सा परिषदों/भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या

राज्य चिकित्सा परिषद का नाम	पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या
आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल	105795
अरुणाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल	1246
असम मेडिकल काउंसिल	24960
बिहार चिकित्सा परिषद	47486
छत्तीसगढ़ चिकित्सा परिषद	10020
दिल्ली मेडिकल काउंसिल	26686
गोवा मेडिकल काउंसिल	4035
गुजरात मेडिकल काउंसिल	71348
हरियाणा डेंटल एंड मेडिकल काउंसिल	15679
हिमाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल	3942
जम्मू और कश्मीर	16648
झारखंड मेडिकल काउंसिल	6926
कर्नाटक मेडिकल काउंसिल	131903
मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल	42596
महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद	188540
भारतीय चिकित्सा परिषद	52666
मिजोरम मेडिकल काउंसिल	118
नागालैंड मेडिकल काउंसिल	141
उड़ीसा काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन	26924
पंजाब मेडिकल काउंसिल	51685
राजस्थान चिकित्सा परिषद	48229
सिक्किम मेडिकल काउंसिल	1501
तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल	148216
त्रावणकोर मेडिकल काउंसिल, कोचीन	70619
उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल	89286
उत्तरांचल मेडिकल काउंसिल	10241
पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल	77664
त्रिपुरा मेडिकल काउंसिल	2681
तेलंगाना मेडिकल काउंसिल	11556
कुल योग	1289337

@ पूर्व एमसीआई ने वर्ष 2015 से पंजीकरण पर रोक लगा दी थी।

भारत में पंजीकृत नर्सों की राज्य-वार संख्या				
क्र.सं.	राज्य	दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार भारत में पंजीकृत नर्सों और ऑग्जलेरी नर्सों की कुल संख्या		
		एएनएम	आरएन एवं आरएम	एलएचवी
1	आंध्र प्रदेश	139128	242853	2480
2	अरुणाचल प्रदेश	4163	4090	159
3	असम	28814	23993	386
4	बिहार	11847	11075	511
5	छत्तीसगढ़	14782	21984	1352
6	दिल्ली	4835	73513	0
7	गोवा	156	477	0
8	गुजरात	51130	131091	0
9	हरियाणा	29771	35304	694
10	हिमाचल प्रदेश	12007	26611	500
11	झारखंड	7896	4977	142
12	कर्नाटक*	54039	231643	6840
13	केरल	31019	288971	8507
14	मध्य प्रदेश*	39563	118793	1731
15	महाराष्ट्र	78304	147494	685
16	मेघालय	2016	7742	237
17	मणिपुर	4184	10431	0
18	मिजोरम	2370	4335	0
19	ओडिशा	67654	82189	238
20	पंजाब*	23029	76680	2584
21	राजस्थान*	108688	200171	2732
22	तमिलनाडु	59167	308812	11262
23	त्रिपुरा	2350	5358	148
24	उत्तर प्रदेश	75671	111860	2763
25	उत्तराखंड	9410	15519	37
26	पश्चिम बंगाल	68982	70442	12854
27	तेलंगाना	3372	14495	0
28	सिक्किम	236	1305	0
	कुल	**934583**	**2272208**	**56842**

स्रोत : संबंधित राज्य नर्स पंजीकरण परिषद

एएनएम: ऑग्जलेरी नर्स मिडवाईव्ज़, **आरएन एवं आरएम:** पंजीकृत नर्स एवं पंजीकृत मिडवाईव्ज़

एलएचवी: लेडी हैल्थ विजिटर, **एनए:** उपलब्ध नहीं

नोट - * 31.12.2018 तक गत वर्ष के आंकड़े